राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3027/2023

डॉ. बिरदी चन्द जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.10.2023

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर (पीबी–IV) पद पर वर्ष 2014 से समस्त पारिणामिक लाभ सहित पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर आदेश दिनांक 04.10.2002 के द्वारा हुई थी। आदेश दिनांक 24.12.2014 के द्वारा उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 08.10.2011 से दिया गया। उनका कथन है कि वर्ष 2014 में अपीलार्थी की एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति देय थी। परंतु

अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी ने वर्ष 2018 में उक्त पदोन्नति हेतु उचित चैनल माध्यम द्वारा आवेदन किया। तदुपरान्त अपीलार्थी ने वर्ष 2020 में पुनः आवेदन किया लेकिन विभाग द्वारा कोई विचार नहीं करते हुये यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच सीसीए 16 के अंतर्गत लम्बित होने के कारण एवं दिनांक 25.05.2017 से निलंबित रहने के कारण अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि वर्ष 2019 में अपीलार्थी की जांच पूर्ण होने के उपरांत भी एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जांच से पूर्व की पदोन्नति को नहीं रोका जा सकता और इस प्रकार अपीलार्थी का निलंबन वर्ष 2017 में हुआ, जबकि पदोन्नति वर्ष 2014 है। अतः उक्त परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2023 के द्वारा 21 अभ्यर्थियों को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने पुनः विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को एसोसिएट प्रोफेसर (पीबी–IV) पद पर वर्ष 2014 से समस्त पारिणामिक लाभ सहित पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि नियमानुसार सीएएस स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग से प्राप्त नोडीई एवं पीई रिपोर्ट के आधार पर तत्समय जांच लंबित होने के कारण अपीलार्थी का प्रकरण पदोन्नति समिति से डेफर किया गया था, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई और इस प्रकार अपीलार्थी पदोन्नति पात्र नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर आदेश दिनांक 04.10.2002 के द्वारा हुई थी और उसे राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना

पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 24.12.2014 के द्वारा उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 08.10.2011 से दिया गया। वर्ष 2014 में अपीलार्थी की एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति देय थी। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2014 के लिये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 25.07.2017 से उसे निलंबित किया गया। परंतु हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उक्त नियम के अंतर्गत जांच लंबित होने के कारण अपीलार्थी का प्रकरण पदोन्नति समिति से डेफर किया गया। चूंकि एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति वर्ष 2014 के लिये थी। जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में वर्ष 2017 में जांच लंबित थी और वर्ष 2017 में ही उसे निलंबित किया गया। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को वर्ष 2014 के विरूद्ध एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु वंचित किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी कैरियर एडवांस योजना के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2014 के लिये यदि योग्य पाया जाता है तो उसके नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर नियमानुसार विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)